यह कि अप्रार्थी रेस्पो. क.1 झगड़ालू व अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसने प्रार्थी अपी. के मामा हरिराम नागर की हत्या की थी जिसमें उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी हाल ही में वह सजा भुगत कर आया है तथा अपी. व परिजनों से रंजिश रखता है एवं झगड़ा करने पर आमादा है। जबरन अपी. के खेत में रास्ता बनाने व प्रार्थी के कोट को हटाने पर आमादा है एवं झगड़ा करने पर आमादा है। यदि अधी. न्यायालय के निर्णय को स्थगित नहीं किया तो अपने व परिजनों को जान माल का खतरा होने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रार्थना है कि अधी. न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.6.2020 की पालना ताफैसला अपील स्थगित रखी जावे एवं राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जावे तथा मौके की यथास्थिति बनाऐ रखी जावे।

मेरे द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अपीलांट के अभिभाषक की बहस को एकपक्षीय सुना। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया अपील का पक्ष संतुलन अपीलांट के पक्ष मे पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप रेस्पोडेन्टगण कम 1 ता 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या :–राजस्व /सुखाचार–रास्ता /2020 /3 /1924–28 मे पारित आदेश दिनांक 12.6.2020 की क्रियान्विती स्थगित की जाती है, ताफैसला अपील राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। स्थगन प्रार्थना पत्र फैसल शुमार हो। स्थगन प्रार्थना पत्र मूल अपील के साथ संलग्न हो।

अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2020.07.10 17:20:04 IST
Reason: SelfAttested